राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा जिला हमीरपुर के छात्र निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/2001 से 3/2005

भाग–एक

1. **प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण :–**

राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा जिला हमीरपुर का प्राथमिक एवं वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2001 से 3/2005 तक श्री बलदेव राज शर्मा,अनुभाग अधिकारी व विद्या सागर कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.1.2006 से 6.2.2006 तक, तदोपरान्त अजीत सिंह,अनुभाग अधिकारी व विद्या सागर कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7.2.2006 से 21.2.2006 तक सुजानपुर टीहरा में किया गया लेकिन अभिलेख के पूर्ण न होने के कारण अंकेक्षण अधियाचना सं0 46 दिनांक 20.2.2006 के प्रत्युत्तर में प्राचार्य, रा0 महाविद्यालय सुजानपुर के पत्र संख्या ईडीएन/जी.डी.सी–लोकल आडिट–2005–06–1117 दिनांक 21.2.2006 जिसके द्वारा उन्होने अभिलेख पूर्ण करने के लिए कुछ समय मांगा था, के अनुरोध पर अंकेक्षण कार्य स्थगित किया गया । अंकेक्षण कार्य को पुनः दिनांक 5.9.06 से 21.9.06 तक सुजानपुर में पूर्ण किया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। विस्तृत जांच हेतु माह 7/01,3/02,7/02,1/2003,7/03.3/04,7/04 व 2/2005 का चयन किया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेख को जो संस्था द्वारा स्वेच्छा या अनभिज्ञता से अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, के लिए विभाग स्वयं उत्तरदायी नहीं होगा।

2. **अंकेक्षण शुल्क :–**

अवधि 4/01 से 3/2005 तक के निधि लेखाओ के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन 28000.00 रू0 किया गया । उपरोक्त राशि को अंकेक्षण अधियाचना सं0 195 दिनांक 19.9.06 के द्वारा प्राचार्य महोदय से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षक,स्थानीय निधि लेखा,हि0प्र0 शिमला–9 के नाम भिजवाने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त राशि को संस्था ने यू.टी.आई. बैंक लि0 के ड्राफ्ट सं0 262182 दिनांक 20.9.06 के द्वारा भेज दिया है।

3. **डी0ए0वी0 कालेज से प्राप्त सामान का लेखांकन न करने बारे :–**

(क) डी0ए0वी0 महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लेने से पहले की सम्पतियां जो राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टीहरा के नाम हस्तान्तरित की गई है, का लेखांकन अभिलेखों में अभी तक नहीं किया गया है। सम्पतियों का विवरण परिशिष्ट क,ख,ग,घ व ड. में दिया गया है। इन सम्पतियों का लेखांकन राजकीय महाविद्यालय के रजिस्टरों/अभिलेखों में किया जाना सुनिश्चित करें व की गई कार्रवाई आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करें ।

(ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पत्र सं0 1–10/89–एचपीयू(अकैडमिक)–4–3535 दिनांक 25.10.2002 के द्वारा प्राप्त मु0 1059563.00 रू0 जिन्हे एण्डोमेंट निधि में महाविद्यालय के भवन निर्माण आदि कार्यों पर खर्च करने हेतु जमा किया गया है। उपरोक्त राशि से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्राप्त राशि मे से कितनी खर्च की गई और कितनी शेष बची है। अतः इस राशि से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतू प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । उक्त राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट च में दिया गया है।

4. **बैंक से प्राप्त ब्याज को रोकड बही में जमा न करने बारे :–**

दिनांक 8.3.2003 को के0सी0सी0बैंक के खाता सं0 5925 में बैंक द्वारा मु0 1181.00 रू0 के ब्याज की प्रविष्टि बैंक पास बुक में दर्शाई गई थी जिसे संस्था की रोकड बही (समिश्रित निधि) में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इस राशि को रोकड बही में दर्ज करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

5. निम्नलिखित फर्मों से प्राप्त सामान के इन्द्राज संस्था द्वारा सम्बन्धित निधियों के स्टोर/स्टाक रजिस्टरां में नहीं दिखाए गए । अतः इनका सही लेखांकन करके सम्बन्धित अभिलेख अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

क्रम सं0	फर्म का नाम	सामान की किस्म	भुगतान की गई राशि
1	मै0/आरती गारमेंट	खेलों का सामान	22920.00
2	मै0/लेहर प्रिंटिंग प्रेस सुजानपुर बिल नं0 638 दि0 5.1.2002	प्रश्न पत्र	चैक सं0 354545 दिनांक 2.3.02
3	मै0/लेहर प्रिंटिंग प्रेस सुजानपुर बिल नं0 637 दि0 5.1.2002	उत्तर पुस्तिका	3250.00
4	मै0/लेहर प्रिंटिंग प्रेस सुजानपुर बिल नं0 654 दि0 22.2.2002	पुस्तकालय कार्ड व पाकेट कार्ड	780.00
5	मै0/नरसिंह दास कायस्थ एण्ड सन्ज सुजानपुर बिल सं0 4827 दि0 7.11.2001	पौल साईंस की दो किताबें ।	324.00
6	मै0 सूद जनरल स्टोर सुजानपुर	काकरी का सामान	318.00
7	मै0/नरसिंह दास कायस्थ एण्ड सन्ज सुजानपुर बिल सं0 2921दि0 23.2.2004	लेखन सामग्री	88.00
8	मै0 पंकज प्रींटरज हमीरपुर दिनांक 2.7.2004	मुद्रित सामग्री	10733.00
9	मै0/नरसिंह दास कायस्थ एण्ड सन्ज सुजानपुर ।	लेखन सामग्री	500.00
10	मै0 गोयल वैराईटी सेन्टर सुजानपुर	खेलों का सामान	280.00
11	–यथोपरि–	–यथोपरि–	470.00

6. माह 3/2002 में मु0 1650.00 रू0 का भुगतान श्री होशियार सिह, गांव रियाह डा0 टिहरा जिला हमीरपुर को महाविद्यालय की दीवारों पर सफेदी करने हेतु सम्मिश्रित निधि से किया गया जबकि यह खर्च भवन निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः इस राशि को भवन निधि से निकालकर सम्मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

7. (क) माह 7/2003 में चैक संख्या 746024 दिनांक 15.7.03 के द्वारा मु0 1440.00 रू0 का भुगतान श्रीमती मोहिनी देवी(सफाई कर्मचारी) को किया गया । उपरोक्त भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि गास 4/2003 के उपस्थिति नागवली बिल के अनुसार उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी मात्र 22 दिन ही कार्य पर उपस्थित थी जबकि भुगतान 24 दिन का किया गया है। अतः 2 दिन के अधिक भुगतान का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अथवा 2x60=120-00 रू0 की वसूली कर्मचारी से करके छात्र निधियों में जमा करवाएं तथा अनुपालना से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाएं ।

(ख) उपस्थिति नियमावली बिल के अनुसार श्रीमती मोहिनी को अल्पकालीन समय हेतु नियुक्त किया गया था जबकि अभिलेखानुसार मजदूरी का भुगतान उसे पूरे दिन के लिए किया । इस तथ्य की पुष्टि के लिए सफाई कर्मचारी का नियुक्ति पत्र शर्तों सहित अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जिसे अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

(ग) हि0प्र0 विश्वविद्यालय के अध्यादेश के नियम 42.3.VIII के अनुसार छात्र निधियों से अस्थाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तभी किया जाता है यदि उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरूद्व की गई हो । इस सन्दर्भ में वांछित सूचनाएं अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिन्हे अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

8. दिनांक 26.1.03 को चैक सं0 584151 के द्वारा मु0 10540.00 रू0 का भुगतान मै0 राधा कृष्ण प्रिंटरज हमीरपुर को परीक्षा से सम्बन्धित लेखन सामग्री की प्रींटिंग हेतु किया गया । उपरोक्त भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) संस्था के आपूर्ति आदेश के अनुसार फर्म को अन्य सामान के अतिरिक्त आवार्ड लिस्ट की 1000 प्रतियों की मांग की गई थी जबकि फर्म के बिल में 2000 प्रतियां दर्शाई गई और भुगतान भी 2000 प्रतियों का किया गया है। इस सन्दर्भ में कय समीति से यह भी प्रमाणित नहीं करवाया गया है कि फर्म द्वारा की गई आपूर्ति संस्था की वास्तविक मांग व विशिष्टता के अनुरूप है। अतः 210 रू0 जो 1000 प्रति आवार्ड लिस्ट की कीमत है, के अधिक भुगतान का औचित्य संस्था के आपूर्ति आदेश के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा 210 रू0 की वसूली करके छात्र निधियों में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

(ख) उपरोक्त सामान के स्टाक रजिस्टरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मुद्रित सामग्री को स्टाक रजिस्टर में सत्रवार परीक्षा हेतु उपयोग की गई सामग्री का दैनिक विवरण न देकर शेष शून्य दिखाया गया है जो लेखांकन पद्धति के अनुरूप नहीं है। अतः सत्रवार परीक्षा के दौरान प्रयोग में लाई गई सामग्री सामग्री का दैनिक विवरण बनाकर कुल मुद्रित करवाई गई सामग्री से कम करके भण्डार में बकाया/शेष पडी सामग्री का आंकलन किया जाए व अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

9. माह 1/2003 में मु02500 रू0 का भुगतान बावत वत्सर के पारिश्रमिक भत्ता अवधि 1.8.01 से 31.5.02 तक के रूप में किया गया । पारिश्रमिक भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर व पारिश्रमिक भत्तो की प्रतिमाह की दर से देय राशि की स्वीकृति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांछित अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

10. छात्र निधियों से अस्थाई रूप से नियुक्त निम्नलिखित प्राध्यापकों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश सत्यापनार्थ अंकेक्षण के दौरान प्रसतुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या इन कर्मचारिगों को स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्त किया गया था। हि0प्र0 विश्वविद्यालय के अध्यादेश के नियम 42.3.(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपरोक्त सूचनाएं एकत्रित करके अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाना सुनिश्चित करें ताकि छात्र निधियों से इनके वेतन के भुगतान की पुष्टि की जा सकें ।

क्रम सं0	प्राध्यापक/कर्मचारी का नाम व पदनाम	भुगतान तिथि	राशि
1	मोनिका(वाणिज्य)	21.1.03	900
2	शिखा शर्मा(प्राध्यापक वाणिज्य)	21.1.03	900.00
3	राकेश शर्मा, प्राध्यापक भैतिक विज्ञान	21.1.03	1875.00
4	संदीप कुमार प्राध्यापक भूगोल	21.1.03	1500.00
5	श्रीमति सीमा,सहा0लाईब्रेरियन	21.1.03	1444.00
6	श्री राकेश कुमार, लाईब्रेरियन	21.1.03	1140.00

11. माह 3/2004 मे निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वास्तविक देय राशि से अधिक राशि का भुगतान किया है जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

कर्मचारी का नाम	वेतन माह	जितने दिनों का भुगतान देय था	जितने दिनों का भुगतान किया गया	अधिक दिनों का भुगतान
मोहिनी सफाई कर्मचारी	1/04	13	15	2
	2/04	18	19	1
रेखा देवी सफाई कर्मचारी	1/04	10	11	1
	2/04	15	16	1
				5 दिन

अतः उपरोक्त 5 दिन के 65 रू0 प्रति दिन के हिसाब से मु0 325.00 रू0 के अधिक भुगतान का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा उतरदायी से वसूली करके छात्र निधियों में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें ।

12. माह 3/04 में चैक संख्या 733839 के द्वारा मु0 16660.00 रू0 का भुगतान मै0 पुरी टेन्ट,लाईट एण्ड कैटरज हमीरपुर को बावत टेन्ट एवं अन्य सामान किराए पर लेने हेतु किया गया । उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित प्राप्त निविदाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में फर्म द्वारा प्राप्त की गई दरों का बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों से तुलना नहीं की जा सकी कि क्या वास्तव में फर्म द्वारा न्यूनतम दरों पर भुगतान लिया गया था । अतः वांछित अभिलेख प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

13. दिनांक 2.7.04 को चैक सं0 147538 के द्वारा किए गए भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि मु0 280.00 रू0 का भुगतान मै0 मोमेंन्टोज जालन्धर को बावत 10 नम्बर बैजिज खरीदने हेतु किया गया । संस्था द्वारा फर्म का मूल बिल प्राप्त न करके बिल की छायाप्रति(फोटोस्टेट) को भुगतान हेतु स्वीकार किया है जो नियमों के विरूद्व है। अतः उपरोक्त भुगतान को छायांकित बिल पर किए जाने का औचित्य रपष्ट किया जाए तथा फोटोस्टेट बिल पर यह प्रमाणित करवाया जाए कि मूल बिल का भुगतान पहले नहीं कियाक गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा । इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

14. **(क)** माह 7/2004 मे पुस्तकालय निधि रो पुस्तकालय प्रतिभूति की वापसी रो सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित छात्रों को भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर **नो ड्यूज सर्टिफिकेट** लिए बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में यह सुनिश्चित करें कि इन छात्रों से महाविद्यालय के पक्ष में कोई बकाया/देनदारी तो नहीं थी जिसे उनको देय राशि में समायोजित नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उनकी देनदारियों की वसूली उतरदायी से करके छात्र निधियों में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करें ।

क्रम सं0	छात्र का नाम	रोल नं0	कक्षा	राशि
1	विजय कुमार	1613	बी0काम–III	100
2	सन्नी राणा	1615	–यथोपरि–	100
3	सुनीत कुमार सूद	1616	–यथोपरि–	100
4	नितिन मोहन	1614	–यथोपरि–	100
5	विशाल मेहरा	1617	–यथोपरि–	100

(ख) पुस्तकालय निधि से किए गए भुगतान के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस निधि में सत्रवार कुल कितनी प्राप्ति हुई, कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा भुगतान करने के उपरान्त कितनी राशि शेष बची है का पूर्ण विवरण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः सत्रवार इसका अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

15. (क) रसीद संख्या 681 दिनांक 16.7.2003 के द्वारा मु0 770.00 रू0 की वसूली बावत निधि एवं शुल्क के रूप में की गई जिसे निधि एकत्रिकरण रजिस्टर में 690 रू0 की ही प्रविष्टि की गई। इस प्रकार 80 रू0 कम जमा करवाए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा कम जमा की गई राशि की वसूली दोषी से करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाए ।

(ख) दिनांक 30.6.04 को छात्रों से विश्वविद्यालय शुल्कों के रूप में मु0 2115 रू0 की वसूली की गई। जांच में पाया गया कि रोकड वही व पास बुक में मात्र 2015 रूपये ही जमा करवाए गए हैं। अतः 100 रू0 कम जमा करवाई गई राशि की वसूली दोषी से करके छात्र निधियों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं ।

16. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय निधि की रोकड वही का लेखांकन सत्र 2004–05 में बैंक पास बुक को आधार मानकर किया गया है जो लेखा पद्धति के विरूद्ध है। रोकड वही को छात्रो से प्राप्त राशियों को निधि एकत्रिकरण रजिस्टर में दर्ज करके, निधि एकत्रीकरण रजिस्टर को आधार मानकर लिखा जाता है। अतः उपरोक्त अवधि में रोकड वही को निधि एकत्रीकरण रजिस्टर आधार मानकर लिखा जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाए ।

17. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार पत्रिका निधि में मु0 9750.00 रू0 की कम वसूली की गई है। जिसकी वसूली अब करके निधियों में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर रात्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

वर्ष	विद्यार्थियों की सं0	निधि की दर प्रति विद्यार्थी	वसूल की गई ।	कम वसूल की गई राशि ।
2001–02	992	25	20	4960
2002–03	958	25	20	4790
				9750.00

18. <u>विविध</u> :– <u>(क)</u> :– छात्र निधियों से आहरण किए गए अग्रिमों के समायोजन सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण अधियाचना सं0 180 दिनांक 5.9.2006 के द्वारा मांगी गई थी । जिसका विवरण वर्षवार परिशिष्ट छ,ज,झ, व ञ में दिया गया है। लेकिन संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान असमायोजित अग्रिमों की सूची अलग से उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः दिनांक

31.3.2005 तक असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु शीघ्र उचित पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाए ।

(ख)अंकेक्षण अधियाचना सं0 191 दिनांक 14.9.2006 के द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त की गई/छपवाई गई कुल रसीद बुकों में से कितनी प्रयोग में लाई गई और कितनी भण्डार में शेष बची है, का अभिलेख प्रस्तुत करने बारे लिखा गया था । उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः रसीद बुकों का अभिलेख उपरोक्त अंकेक्षण अधियाचना में दर्शाए गए प्रपत्र अनुसार बनाकर की गई कार्रवाई से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

(ग)अंकेक्षण अधियाचना सं0 192 दिनांक 14.9.2006 के द्वारा संस्था से पुस्तकालय से छात्रों को जारी की गई पुस्तकों को उनके द्वारा यथोचित समय पर वापिस न करने पर दण्ड की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे कहा गया था जिसे अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अभिलेख को पूर्ण करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

(घ)(1) :– अंकेक्षण अधियाचना सं0 193 दिनांक 14.9.2006 के द्वारा संस्था को कैमिकल के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख इस अंकेक्षण अधियाचना में दिए गए प्रपत्र अनुसार प्रस्तुत करने बारे लिखा गया था जिसे अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । कैमिकल के स्टाक रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि प्रयोगशाला के लिए कैमिकल को बिना मांग पत्र के जारी किया गया है जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस तिथि को कितनी मात्रा जारी की गई। अतः भविष्य में प्रयोगशाला के लिए छात्रों की संख्या व प्रत्येक छात्र को प्रयोग के लिए निर्धारित मात्रा अनुसार कैमिकल मांग पत्र के आधार पर जारी किया जाए ।

(2)_ कैमिकल के स्टाक रजिस्टर में खरीदे गए कैमिकलज की प्रत्येक मद की अवधि समाप्ति तिथि का ब्योरा दिया जाना सुनिश्चित करें । अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

(ङ.) छात्र निधियों से खरीदे गए सामान हेतु संस्था द्वारा लगाए गए स्टोर/स्टाक रजिस्टरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि खरीदे गए सामान का लेखांकन मदवार न करके एक रजिस्टर के एक पृष्ठ पर ही किया जा रहा है। अपभोज्य व उपभोज्य मदों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी वस्तु विशेष की कितनी मदें/मात्रा भण्डार में उपलब्ध है। अतः अपभोज्य व उपभोज्य स्टोर/स्टाक मदों हेतु अलग–2– रजिस्टर लगाकर मदों का सही वर्गीकरण करके प्रत्येक मद का लेखांकन अलग–2– किया जाए । अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(च) संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टोर/स्टाक का एक बार भी भैतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः हिमाचल प्रदेश वित्तीय

97

नियमों के अन्तर्गत 15.17 में दिए गए प्रावधान के अनुसार स्टोर/स्टाक का भैतिक सत्यापन करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं ।

19. **लघु आपति विवरणिका** :–

इसे अलग से जारी नहीं किया गया है ।

20. **निष्कर्ष** :–

निधि लेखाओं के रख रखाव में अधिक सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)11(6)97/01–खण्ड–1, दिनांक, शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :– 14 SEP 2007

1. प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टिहरा जिला हमीरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,शिमला–1.

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.